मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त–सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 21 अगस्त, 1995 (श्रावण 30, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री सुन्नूलाल मडोइया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(2) श्री लीलाधर जोशी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(3) श्री कामता प्रसाद, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(4) श्री भूरेलाल फिरोजिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(5) डॉ. शैल कुमार शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(6) श्री हरि प्रसाद शुक्ला, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(7) श्री रामनारायण सखवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(8) श्री सुखदेव प्रसाद, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल
(9) श्री हरिशंकर परसाई, सुप्रसिद्ध व्यंग्य शिल्पी

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची मे सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे :-

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (क्रमांक 2 सन् 1995);
(ख) मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (क्रमांक 3 सन् 1995);
(ग) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (क्रमांक 4 सन् 1995); तथा
(घ) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (क्रमांक 5 सन् 1995)

4. फरवरी–अप्रैल 1995 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267–क के अधीन फरवरी–अप्रैल, 1995 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, उज्जैन शहर के किशोर बंदी गृह में बालकों के साथ दुष्कृत्य किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य, डबरा स्थित ग्वालियर शुगर मिल के प्रबन्धकों द्वारा गन्ने की कीमत का भुगतान न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 20 अगस्त, 1995